

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/544

दिनांक:- 27/5/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-डूंगरपुर/उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं में अनिस्तारित आवासों को मण्डल की 237वीं बैठक दिनांक 20.06.19 के बिन्दु सं. 237.21 के निर्णयानुसार जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 331 दिनांक 10.07.19 के अनुसार खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारित किये जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्धति से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। खुली बिक्री योजना से निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल
1	शिवाजी नगर, डूंगरपुर	मध्यम आय वर्ग-अ (डूपलेक्स)	7-ए-02, 7-ए-03, 7-ए-04 = 03	03
2	परतापुर, बांसवाडा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (घरौंदा)	4/174 = 01	01
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	4/130	01
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3/43, 3/44, 3/45, 3/48, 3/49, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 3/56 = 12	12
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	3/63, 3/96 = 02	02
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	4/214, 4/215, 4/217, 4/218, 4/219, 4/221, 4/225, 4/230, 4/231, 4/237, 4/238, 4/240, 4/241, 4/242, 4/243, 4/244, 4/247, 4/245, 4/248, 4/251, 4/254, 4/255, 4/256, 4/257, 4/259 3/40, 3/41, 3/60, 3/42, 3/58, 3/59 = 31	31
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	7/78, 7/79, 7/80, 7/81, 7/82, 7/84, 7/85, 7/87, 7/89, 7/90, 7/93, 7/97, 7/98, 7/99, 7/100, 7/101, 7/102, 7/103, 7/107, 7/111, 7/128, 7/129, 7/131, 7/132, 7/136, 7/139, 7/140, 7/142, 7/144, 7/145,	32		

			$7/146, 7/148 = 32$	
		अल्प आय वर्ग	$3/119, 3/203 = 02$	02
		अल्प आय वर्ग	$7/39, 7/40, 7/41, 7/42, 7/46, 7/48, 7/49, 7/51, 7/52, 7/53, 7/54, 7/55, 7/56, 7/57, 7/58, 7/59, 7/60, 7/61, 7/64, 7/65, 7/67, 7/68, 7/70, 7/71, 7/72, 7/73, 7/74, 7/75, 7/76, 7/77, 7/92, 7/113, 7/115, 7/116, 7/117, 7/119, 7/121, 7/122, 7/123, 7/124, 7/125, 7/126, 7/127 = 43$	43
		मध्यम आय वर्ग-अ	$2/57 = 01$	01
		मध्यम आय वर्ग-अ	$1/97 = 01$	01
		मध्यम आय वर्ग-अ	$7/14, 7/15, 7/18, 7/19, 7/20, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38 = 17$	17
		मध्यम आय वर्ग-ब	$1/60, 1/63, 5/13, 5/18, 5/22, 5/23, 6/13 = 07$	07
		मध्यम आय वर्ग-ब	$1/09, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 2/07, 2/08, 2/09, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69 = 27$	27
		मध्यम आय वर्ग-ब	$2/03, 2/06 = 02$	02
		उच्च आय वर्ग	$5/03, 5/06 = 02$	02
		उच्च आय वर्ग	$1/01, 1/02, 1/03, 1/04 = 04$	04
			कुल	185
3	शास्त्री नगर, बांसवाडा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (घरौंदा)	$1-ए-04, 1-ए-07 = 02$	02
		आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	$3-के-06, 1-ई-10 = 02$	02

	अल्प आय वर्ग	2-सी-01, 2-सी-02 = 02	02
	अल्प आय वर्ग	3-सी-04, 3-सी-16, 3-सी-18, 3-सी-20, 4-जी-12 = 05	05
	मध्यम आय वर्ग-ब	2-ई-02, 3-एच-04, 2-ए-36 = 03	03
	मध्यम आय वर्ग-ब	1-जी-14 = 01	01
	मध्यम आय वर्ग-ब	4-ए-23, 4-ए-24, 4-ए-25, 2-ए-25 = 04	04
		कुल	19
		कुल योग	207

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता उक्त फ्लैटों का निस्तारण आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.17 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें :-


1. फ्लैटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लैटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लैट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लैटों (आवासों) निस्तारण उचित प्रसार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लैटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लैटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद / न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लैटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लैट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन / शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 14/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-डूंगरपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, डूंगरपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक